पंजीकृत सं० ............
आवती सं० ......
दिनांक ...............

हिमाचल प्रदेश सरकार
"गृह विभाग"

...

संख्या: होम-बी (डी) (2-15/94 तारीख शिमला-171002, 29/4/97

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारागार विभाग हिमाचल प्रदेश में स्वीपर, (सफाईकर्ता) वर्ग-IV (अराजपत्रित) पद के लिए, इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "अ" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नती नियम बनाते हैं, अर्थात :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग स्वीपर, (सफाईकर्ता), वर्ग- IV (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत होंगे।

निरसन और व्यावृतियां 2 (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या-पीआर-बी (13)/75 तारीख 9/13.6.1977 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग क्लास-IV सर्विस रैक्रूटमैन्ट प्रोमोशन एण्ड सरटेन कन्डीशन्ज ऑफ सर्विस रूलज, 1976 एतद द्वारा उस विस्तार तक निरसित किये जाते हैं, जहां तक ये स्वीपर (सफाईकर्ता) के पद से सम्बन्धित है।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त नियम (1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधि मान्य रूप में की गई समझी जायेगी।

आदेश द्वारा

(एस. एन. वर्मा)
आयुक्त एवं सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

..........2

14



संख्या: होम-बी (बी) 2-15/94 तारीख शिमला-2, 29/4/97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को प्रेषित है।

2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।

3. अतिरिक्त महानिदेशक कारागार हिमाचल प्रदेश शिमला-2।

4. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-171005 को हिमाचल प्रदेश के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु। आपसे अनुरोध है कि राजपत्र की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस विभाग को उपलब्ध करवायें।

5. सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002

6. उप विधि परामर्शी, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002 को
7. 150 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

8. सहायक विधायी प्रारूपकार (हिन्दी) विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 ।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध "अ"

कारागार विभाग हिमाचल प्रदेश में स्वीपर, (सफाई कर्ता) वर्ग-IV अराजपत्रित के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नती नियम

| | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | स्वीपर (सफाई कर्ता) |
| 2. पदों की संख्या | तेरह (13) |
| 3. वर्गीकरण | वर्ग - IV (अराजपत्रित) |
| 4. वेतनमान (विस्तृत रूप में अंकित करें) | रू. 750- रू. 770-30-950-35-1160-40-1320-45-1410 से आरम्भ |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | अचयन पद |
| 6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | 18 से 35 वर्ष । |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किये गये पहले से सरकार की सेवा में रत सहित अभ्यार्थियों को लागू नहीं होगी,

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा,

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किए गये है और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गये है/ किए गये थे ।

टिप्पणी : (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस में की जायेगी जिसमें आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के लिए यथा स्थिति पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किये जाते है ।

(2) अन्यथा सुअहित अभ्यार्थियों की दशा में...

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव भर्ती प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।

| | |
|---|---|
| 7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | (क) अनिवार्य :<br>हिन्दी पढना लिखना जानता हो<br>(ख) वांछनीय अर्हतायें :-<br>हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ती के लिए उपयुक्तता । |
| 8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें, प्रोन्नती की दशा में लागू होगी या नहीं | लागू नहीं<br>लागू नहीं |
| 9. परिवीक्षा की अवधि | दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितयों में और लिखित कारणों से आदेश दें । |
| 10. भर्ती की पद्धति<br>भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता. | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा |
| 11. प्रोन्नती, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नती प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा । | लागू नहीं । |
| 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना | लागू नहीं । |
| 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितयों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये । | लागू नहीं । |
| 14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा | किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी निम्नलिखित अवश्य |

-3-

होना चाहिए !-

(क) भारत का नागरिक हो या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थाई निवास के आशय से वास के लिए आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसे पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका युगाण्डा, पूर्वी अफ्रीका के देशों कीनिया, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया, (पहले तन्जानियां) और जंजीबार), जांबिया मालवा, ज्यैर तथा इथोपिया से भारत में स्थाई निवास के आशय से प्रवास किया है परन्तु प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया हो ऐसे अभ्यार्थी को जिनके मामले में पद के आधार पर और यदि भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित/ साक्षातकार में प्रविष्ट किया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात ही दिया जायेगा ।

| | |
|---|---|
| 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन | सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि, यथास्थिति भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा । |
| 16. आरक्षण | उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल सरकार द्वारा समय-2 पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अधीन होगा । |

.......4

-4-

17. शिथिल करने की शक्ति — जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो यह कारणों को अभिलिखित करके इन नियमों के उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

x-x-x-x